



2026:AHC:6679

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 44133 / 2025

मोहम्मद रफी

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

: रामचन्द्र

कुशवाहा

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता

: शासकीय

अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री एस. के. राय तथा राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह जमानत आवेदन अभियुक्त-आवेदक की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 278 वर्ष 2025, धारा 3/5-ए/8, 5 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, धारा 109, 318(4), 336(3), 338, 340(2) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम, थाना सैयद रज़ा, जनपद चंदौली के अंतर्गत जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है तथा उसे इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। उन्होंने कहा कि आवेदक संबंधित वाहन का चालक है। पशुओं को वध हेतु ले जाने का आरोप असत्य है। यह भी कहा गया कि आवेदक के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल हो चुकी है तथा अब उसकी आगे की हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के कब्जे से न तो कोई गौवंश, न गौमांस तथा न ही कोई अन्य आपत्तिजनक वस्तु बरामद हुई है। आवेदक पशुओं के क्रय-विक्रय के व्यवसाय में भी संलिप्त नहीं है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र अथवा सार्वजनिक गवाह नहीं है। आगे यह भी कहा गया कि आवेदक दिनांक 21.09.2025 से कारागार में निरुद्ध है तथा जमानत पर रिहा होने की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



स्थिति में उसके न्याय से भागने अथवा साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है।
आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत प्रार्थना का जोरदार विरोध किया, परंतु इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि आवेदक के कब्जे से कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है।
5. उपर्युक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता तथा उपलब्ध साक्ष्यों की प्रकृति, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की आशंका एवं प्रथम दृष्टया प्रकरण को देखते हुए, वाद के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि जमानत प्रदान किए जाने का मामला बनता है।
6. तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।
7. आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त-आवेदक **मोहम्मद रफी**, उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में, न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समरूप धनराशि का निजी बंधपत्र तथा दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए—
 - i. आवेदक साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - ii. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
 - iii. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित/डराने-धमकाने का प्रयास नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।
 - iv. आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा, जब तक कि न्यायालय द्वारा उसके व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न प्रदान की जाए।
8. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(श्री अशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

दिनांक : 12 जनवरी, 2026

पिकेएस